

अति आवश्यक

प्रेषक

परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. सभी महाप्रबन्धक,  
हरियाणा राज्य परिवहन,
2. उक्त दरता अधिकारी  
आई.एस.बी.टी. दिल्ली
3. उप परिवहन नियन्त्रक (तक)  
केंद्रीय कर्मशाला करनाल/हिमाचल।

क्रमांक 7565-90/ईए4/ई1  
दिनांक 15-7-09

विषय :- वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम हेतु।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

सभी महाप्रबन्धकों को निर्देश दिये जाते हैं कि भवन लिपिक/नाजिर/पी.एम.

ए की सीटों पर कार्यरत कर्मचारियों को दिये जाने वाला अग्रिम एडवांस निम्न प्रकार निश्चित किया गया है :-

ए	भवन लिपिक	75,000/रुपये
बी	नाजिर	25,000/रुपये
सी	पी.एम.ए	25,000/रुपये

यह भी निर्णय लिया गया है कि इन सीटों पर कार्यरत कर्मचारियों के हार महीने बिल स्वीकृत करवाने होंगे।

1. इसके अतिरिक्त महाप्रबन्धकों, हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला तथा सोनीपत को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत भवन लिपिक, नाजिर तथा पी.एम.ए को तुरन्त प्रभाव से बदल कर मुख्यालय को अवगत कराये।

2. सभी महाप्रबन्धकों को निर्देश दिये जाते हैं कि इन सीटों पर कार्यरत कर्मचारियों का अग्रिम एडवांस या तीन की अवधि से कटौत करवाकर मुख्यालय को प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

3. भविष्य में जिन भी कर्मचारियों को इन सीटों पर लगाया जाना है उसके लिये महाप्रबन्धक कर्मचारी का पूर्ण रिकार्ड जैसा कि नाम, पद, नियुक्ति तिथि, डिपो में कब से कार्यरत है, तिथिगत सीटें जिस पर कर्मचारी कार्यरत रहा है, सर्विस रिकार्ड, ए.सी.आर. रिकार्ड का विवरण देते हुये एक सीट पर तीन कर्मचारियों का पैन्ल भेजकर स्वीकृत मुख्यालय से प्राप्त करने उपरान्त नियुक्ति प्रदान करेंगे।

4. सभी महाप्रबन्धकों को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जो कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से इन सीटों पर कार्यरत है को तुरन्त बदल दिया जाये। ✓

व्यंजित परिवहन आयुक्त, हरियाणा।

पू०क्रमांक 7591

/ईए4/ई1

दिनांक 15/7/09

इसकी एक प्रति मुख्य लेखा अधिकारी को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे एक टीम का गठन करें जोकि समय-2 पर डिपो में उपरोक्त तीनों सीटों का आडिट करेंगी।

व्यंजित परिवहन आयुक्त, हरियाणा।